

प्रेषक,

संयुक्त निदेशक (शिक्षा)

गोरखपुर मण्डल गोरखपुर।

सेवार्थ,

सचिव

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,

शिक्षा केन्द्र-2, समुदाय केन्द्र, प्रीति बिहार,

नई दिल्ली।

पत्रांक: आरु0/एन0डी0सी0/

/2014-15

दिनांक: 27-6-14

विषय:- गुरुकुल मिशन स्कूल नियर आई0टी0आई0 मण्डीरोड, अगस्तपार, देवरिया को सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्डी एजुकेशन नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सन्दर्भ में अवगत कराना है कि माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं को कौंसिल फार दी इण्डियन सर्टिफिकेट इक्वायलेशन, नई दिल्ली/सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्डी एजुकेशन नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र राज्य सरकार के स्थान पर सम्बन्धित मण्डल के मण्डलाधिका की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा दिये जाने का निर्देश है, मण्डलीय समिति की बैठक दिनांक 18.06.2014 में लिये गये निर्णय के अनुसार गुरुकुल मिशन स्कूल नियर आई0टी0आई0 मण्डीरोड, अगस्तपार, देवरिया को सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्डी एजुकेशन नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है -

- 1- विद्यालय के पंजीकृत सोराइटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- 2- विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- 3- विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के नेमादी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ0प्र0माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- 4- संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता आई0सी0एस0ई0 नई दिल्ली से (कौंसिल फार दी इण्डियन सर्टिफिकेट इक्वायलेशन, नई दिल्ली)/सी0डी0एस0ई0 बोर्ड नई दिल्ली से प्राप्त होती है, जो उच्च परीक्षा परिषद से सम्बद्धता प्राप्त होने की स्थिति से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः सम्पन्न हो जायेगी।
- 5- संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों के अनुमन्य वेतन मानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्तों नहीं दिये जायेंगे।
- 6- कर्मचारियों के सेवा शर्तें बनायीं जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उ0 मा0 विद्यालय के कर्मचारियों के अनुमन्य सेवानिवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
- 7- राज्य सरकार/विभाग द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।
- 8- विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित पंजीकाओं में रखा जायेगा।
- 9- उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

48

उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है, अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जा रही है, तो उक्त प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया जायेगा, जिसका पूर्ण उत्तर दायित्व संस्था का होगा ।

भवदीय

डा०(उत्तम गुलाटी)
संयुक्त निदेशक (शिक्षा)
गोरखपुर मण्डल गोरखपुर।

पृ०सं० आशु०/ २५६३-७० /2014-15 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नांकित की सेवामें सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पेषित -

- 1-सचिव, माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा-7 अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
- 2-मण्डलायुक्त गोरखपुर मण्डल गोरखपुर ।
- 3-जिलाधिकारी देवरिया ।
- 4-शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) उ०प्र० लखनऊ ।
- 5-जिला विद्यालय निरीक्षक देवरिया ।
- 6-प्रबन्धक/प्रधानाचार्य गुरुकुल मिशन स्कूल नियर आई०टी०आई० मण्डीरोड, अगस्तपार, देवरिया ।
- 7-गार्ड फाईल ।

4/21/6.14
डा०(उत्तम गुलाटी)
संयुक्त निदेशक (शिक्षा)
गोरखपुर मण्डल गोरखपुर।